न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2016-00129Ju2016-05A Kumbharam Vs Bhabutaram etc

कुम्भाराम पुत्र श्री लाखाराम जी, जाति जाट, निवांसी- ग्राम तिंवरी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. भबूताराम पुत्र श्री फुसाराम
02. बाबूराम पुत्र श्री लाखाराम
03. सुमेरराम पुत्र श्री लाखाराम
04. धोकलराम पुत्र श्री रूघाराम
05. चेनाराम पुत्र श्री रूघाराम
06. पुखराज पुत्र रूधाराम
07. भंवरलाल पुत्र रूघाराम
08. गवरी देवी पत्नी श्री रूघाराम(**फौत होने से नाम तर्क**)

सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम तिंवरी, तहसील तिवंरी, जिला जोधपुर।

09. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार औसियां।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां दिनांक 22 दिसंबर 2015 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 215/2015 कुम्भाराम बनाम भबूताराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री सी.पी. चौधरी, अधिववक्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या नौ

नि र्ण य

दिनांक : 23 नवंबर 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 2015/2015 कुम्भाराम बनाम भबूताराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 22 दिसंबर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2015 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 05 जनवरी 2016 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद खातेदारी घोषणा एवं विभाजन अन्तर्गत धारा 88 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध पेश किया, जिस वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई कर दिनांक 22 दिसंबर 2015 को अपीलाधीन आदेश पारित कर वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी/अपीलांट के 1/9 हिस्से के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने वादी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा केवल आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए गोल माल आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड एवं पक्षकारान् की प्लीडिंग से यह स्पष्ट था कि वाद में वर्णित सम्पूर्ण भूमि संयुक्त खाते की अविभाजित आराजी है एवं इसका कोई विधिवत बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है, इन परिस्थितियों में यह जरूरी था कि वाद प्रस्तुतिकरण की तिथि संपूर्ण भूमि की स्थिति को यथावत बनाये रखने का आदेश दिया जाता। अविभाजित कृषि जोत पर सह खातेदार को काश्त करने एवं फसल बोने के अलावा मौके के हालात में किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकार अन्य सह खातेदार की सहमति के बिना प्राप्त नहीं होते एवं यदि कोई सह खातेदार ऐसा कार्य करे जो पुख्ता रूप से सामलाती भूमि की स्थिति में बदलाव ला सके तो ऐसे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कृत्य को रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए, ताकि विभाजन के वाद में अंतिम निर्णय करने में कोई कठिनाई न हो तथा वाद बाहुल्य से बचा जा सके। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से ऐसा लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व सभी पहलूओं पर विचार ही नहीं किया तथा किसी भी बिंदु पर अपना कोई निष्कर्ष नहीं दिया एवं न कोई कारण दर्ज किये गये। कानून की नजर में उक्त आदेश एक विधिक आदेश की तारीफ में नहीं आता। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने संबंधी तीनों बिंदुओं पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है एवं दो पंक्ति में गोल माल आदेश पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं. 1094 की भूमि बाबत आदेश पारित किया है, परन्तु वाद में वर्णित अन्य खसरा नंबर की भूमि बाबत कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया, जबकि वाद की संपूर्ण विषय वस्तु के संदर्भ में एक विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में दोनो पक्षों की दलीलों को तो उजागर कर दिया, परन्तु स्वयं द्वारा अपना न्यायिक मस्तिष्क काम में ही नहीं लिया एवं अंत में यह लिख दिया गया अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, जबकि उनके समक्ष कोई अपील विचाराधीन ही नहीं थी। स्पष्ट है कि उक्त निर्णय स्थिरचित से पारित ही नही किया गया। इस मामले में दोनों ही गांवों में स्थित भूमियां सामलाती खाते की है, जब अप्रार्थी ने एक गांव की भूमि के संदर्भ में नजरी नक्शे को सही माना तो दूसरे गांव की भूमि को नहीं मानने का कोई कारण नहीं था। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन आदेश को संशोधित करते हुए माफिक प्रार्थना पत्र संपूर्ण भूमि खसरा नं. 1094 गांव बाबा रामदेव नगर तथा खसरा नं. 1201, 1202 व 1202/2 गांव जाटीपुरा की भूमि के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट जारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की जावे तथा संपूर्ण भूमि पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश फरमाया जावें।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने हक हिस्से की 1/9 भाग भूमि के कब्जे काश्त को नजरी नक्शे में दर्शाकर प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थी/अपीलांट के वादग्रस्त भूमि में 1/9 हिस्से को संरक्षित रखने का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार है, इसलिए संपूर्ण आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं जारी की जा सकती है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक प्रार्थी/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने 1/9 हिस्से की घोषणा एवं विभाजन बाबत दावा प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में इस्तदुआ चाही कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का जहां कब्जा काश्त है, उक्त भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी अप्रार्थीगण न तो स्वयं करे तथा न ही किसी अन्य से करावें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जवाब में अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट ने प्रार्थी/अपीलांट द्वारा नजरी नक्शे में दर्शित 1/9 हिस्से को संरक्षित किये जाने में सहमति प्रदान की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर दावे के निस्तारण तक अपीलांट के 1/9 हिस्से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में विधिसम्मत नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट खारिज की जाती है।अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 दिसंबर 2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर